राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**मदन लाल बनाम दिव्यांशी चौधरी** 439/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/02/2026 को पेश हो । राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
19/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/07/2019 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी । जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आएश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अपीलार्थी के पास उपलब्ध है एवं अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार/तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिसके आधार पर अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो । अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 12/07/2019 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है । न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये 30 दिवस में उभयपक्षों की सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 19/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	